

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1141-148

दिनांक 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में पंचकर्म टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23568762	सुनील टेमनिया पिता श्री रमेश टेमनिया पता- 60 आगर रोड पुराना नाका नं. 5 उज्जैन म०प्र०	OBC	54
2	23548284	रमेश मुवेल पिता श्री रतनसिंह पता- बी-72 गौरीधाम कॉलोनी खरगौन जिला व तहसील खरगौन	ST	52

उपरोक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायापेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कमी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ. क्रमांक/2023/स्थापना/1141-148

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि— सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— विशेष सहायक, मानव संसाधन जे. म. प्र. शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव म. प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।

- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक/2023/स्थापना/1156-162

दिनांक 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में एक्स-रे टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23548187	नीलेश माहुले पिता श्री कृष्ण कुमार माहुले पता- रिसेवाड़ा पोस्ट रिसेवाड़ा तहसील लांजी जिला बालाघाट म०प्र०	UR	68.36

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएँ-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1156-162


दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1130-140,

दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में ओटी0 टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23566571	विकास पाटिल पिता श्री गेंदालाल पाटिल पता- 593 सेटेलाइट टाउनशीप निहालपुर मुंडी इंदौर म.प्र.	UR	71.42
2	23566479	विशाल सिजोरिया पिता श्री सीताराम सिजोरिया पता- न्यू कॉलानी नं.1 303 बिरला नगर ग्वालियर म.प्र.	UR	67.34
3	23566926	पवन विश्वकर्मा पिता श्री दयाराम विश्वकर्मा पता- 213 बी प्रजापत नगर इंदौर	UR	66.32
4	23566592	इमाम अली रंगरेज पिता श्री मोहम्मद अली पता- वार्ड न. 22 धरीला मोहल्ला मुल्ला कबाडी के पीछे शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल MP00	OBC	65.3
5	23566860	महेश कुमार पिता श्री नारायण सिंह पता- गोलूखेडी पोस्ट तोरनिया तहसील इछावर जिला सिहोर MP00	SC	65.3

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उद्भूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मत-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर बालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।

08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी



- 7- व्याख्यान नस्ती हेतु।
- 6- सर्वोच्च श्रेणी/श्रीमती/सुश्री
- 5- निम्न कोषालय अधिकारी।
- 4- समानाचार्य, समाज..... एवं अध्यक्ष, स्वशास्त्री कार्यकारिणी समिति।
- 3- आचार्य, संवत्सराचार्य आचार्य मण्डल।
- 2- प्रमुख सचिव मण्डल शासन आचार्य विभाग मंत्रालय मंत्रालय।
- 1- विशेष सहायक, मानव संसाधन आचार्य विभाग मंत्रालय मंत्रालय।

प्रतिनिधि:- संचालक/पालनाथ एवं आचार्य कार्यकारिणी हेतु।

पं. क्रमांक/2023/स्वा.पं. / 1130-140,

दिनांक: 27/04/2023

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक/2023/स्थापना/1119-129,

दिनांक: 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में आयुर्वेद फार्मासिस्ट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23563331	अजय दीप वर्मा पिता श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा निवासी-ग्राम पाटन थाना दोराह तह. रयामपुर जिला सीहोर 466661	UR	58.69
2	23575179	गोविन्द चौरसिया पिता श्री सुरेश चौरसिया, निवासी-मं. नं.-1552. गली नं.-16 रोड नं.-3 नवजीवन कॉलोनी छोला रोड हुजूर भोपाल म०प्र०	UR	57.6
3	23562612	मनोज कुमार त्रिपाठी पिता श्री रामस्वरूप त्रिपाठी, निवासी-वार्ड-11 स्फाटिक शिला तिराहा के सामने चित्रकूट ग्राम रजौला मझगवां जिला सतना म०प्र०	UR	53.26
4	23562721	मो०उसमान खान पिता श्री इशाक खान, निवासी महल सराय पुरानी शिवपुरी तह. व जिला शिवपुर म०प्र०	OBC	53.26
5	23562441	आकांक्षा ढोलेकर पति प्रदीप कुमार ढोलेकर निवासी मं. नं.-07 रिगल मोहिनी होम्स अदधपुरी भोपाल म०प्र०	SC	44.56

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टोप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।



प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

- 7- व्यक्तित्वगत नस्ली हेतु।
 - 6- सर्वोच्च श्रेणी/श्रीमती/सुश्री
 - 5- विद्यापीठ/विद्यापीठ/विद्यापीठ
 - 4- समाजसुधारक, समाज, एवं अर्थशास्त्र, स्वदेशी कार्यपालन समिति।
 - 3- आचार्य, स्वातंत्र्यसैन्य आचार्य मंडळ मीपाठ।
 - 2- प्रमुख सचिव मंडळ शासन आचार्य विभाग मंडळ मीपाठ।
 - 1- विशेष सहायक, मानव संसाधन आचार्य विभाग मीपाठ।
- प्रतिनिधि:- सर्वोच्च/पालनाथ/पालनाथ एवं आचार्यक कार्यपालन हेतु।
- पं. क्रमांक/2023/स्थान/1119-129, दिनांक: 07/04/2023

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(व्यक्तिगत)

18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपिकीय कार्य एवं परीक्षापत्रिका स्थान में बसने के लिए आचार्य का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक/2023/स्थापना/1065-85

दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैबोरेटरी सहायक/लैब असिस्टेंट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	23591516	कल्पना द्विवेदी पिता श्री उत्तम द्विवेदी पता- मकान नं. 64 राजीव गांधी नगर वी.डी.ए. कालोनी अयोध्या बायपास रोड आनंद नगर भोपाल म.प्र.	UR	68.42
2	23571184	मोहित जैन पिता श्री सुरेश जैन पता ग्राम ललरिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र. पिनकोड 643111	UR	67.36
3	23560801	अशोक सिंह राजपूत पिता श्री दौलत सिंह राजपूत पता- म. नं 1 वार्ड नं 2 टंकेरी मोहल्ला चांचाडा जिला गुना म.प्र.	UR	67.36
4	23561456	वैशाली पाठक पिता श्री सुरेश कुमार पाठक पता- 96 बृज कॉलोनी करोद भोपाल म.प्र. पिनकोड 462038	UR	66.31
5	23583157	रोशनी वंशकार पिता श्री प्रेमलाल वंशकार पता- म.नं 115/1 सर्वोदय स्कूल के पीछे कांच धर धमापुर जबलपुर म.प्र.	UR	65.26
6	23574245	साक्षी मालवीय पिता श्री रमेश मालवीय पता- नं 10 इन्द्रा बस्ती बाडी पारतलाई रायसेन म.प्र. पिनकोड 464665	SC	65.26
7	23582778	रितिका कोल पिता स्व. श्री कमल कोल पता-रांझी नई बस्ती बिलपुरा रोड प्रभात स्कूल के समाने जबलपुर म.प्र.	UR	65.26
8	23583954	कुमारी प्रीति रोहिताश पिता स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद रोहिताश पता- 16 सकल्प विहार वृदावन नगर मदन टेरिसा नगर जबलपुर म.प्र.	UR	64.21
9	23561704	कृष्ण कुमार पान्से पिता स्व. श्री गुलाब राव पान्से पता- मं नं. 327 अम्बेडकर नगर नियर माता मंदिर भोपाल म.प्र.0	UR	64.21
10	23560969	आशीष साहू श्री कामता प्रसाद साहू ग्राम धौखेडा पोस्ट हैदरगढ़ थाना हैदरगढ़ तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र.	UR	64.21
11	23560096	पूनम महावर पिता श्री काशीराम महावर पता- मं न. एल. आई.जी. 21 गैर राहत हम्माल कालोनी हाउसिंग बोर्ड करोंद तहसील हुजूर भोपाल म.प्र.0	SC	64.21
12	23582540	जाग्रति चौरसिया पिता श्री चमन सिंह चौरसिया पता- कटगी नाका शहीद वार्ड सिवनी तहसील सिवनी जिला सिवनी म.प्र.	OBC	64.21
13	2358306	राजेश्वरी डहेरिया पिता श्री चंद्रलाल डहेरिया पता- ए.सी.केशन सिवनी जिला कनका नं. 4-02 छपारा जिला सिवनी म.प्र.	SC	64.21

14	23561985	मनीष बाबू यादव पिता श्री इरीप्रसाद यादव पता- म नं.20 रंगपुरा कैंसरी पोस्ट नान्द तहसील जिला रायसेन म.प्र.	OBC	63.15
15	23583138	भारती नाग पिता श्री खरग सिंह नाग पता- वार्ड नं 11 पुरानी बस्ती वार्ड नेनपुर तहसील व थाना नेनपुर जिला मडला म.प्र.	SC	63.15

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार चेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कमी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएँ-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिबीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा शर्तें) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।

14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1065-85

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1103-118

दिनांक 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में पंचकर्म सहायक (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / निवास स्थान	वर्ग / संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23568697	चौदनी जंघेला पति श्री कन्हैयालाल जंघेला निवासी-ग्राम जहर मऊ जिला मण्डला म०प्र०	UR	54
2	23568702	आशीष बघेल पिता श्री रमाधर बघेल निवासी-ढावा रोड, सुभाष वार्ड नं.-09 अमरवाडा जिला छिन्दवाडा म०प्र०	UR	54
3	23568727	स्वेता मनोज तिडके पति मनोज तिडके, निवासी -वार्ड नं. -08 दुल्लारपुर थाना लॉजी जिला बालाघाट म०प्र०	UR	53
4	23548280	मनोहर पिता धिरोजी लाल निवासी- म.न.-449 खेडी मोहल्ला झरखेडा जिला सीहोर म०प्र०	UR	52
5	23568733	सोनम पंचेश्वर पिता ढबूलाल, निवासी-भोमा थाना कान्हीवाडा तह.व जिला सियनी म०प्र०	OBC	52
6	23568615	सुषमा नन्दा पिता श्री सिताराम नन्दा, निवासी-वार्ड नं.01 महात्मा गांधी वार्ड नैनपुर तह. व थाना नैनपुर जिला मण्डला म०प्र०	OBC	51
7	23568600	लिखन लाल तुरकर पिता श्री उमराव तुरकर निवासी-मोहगांव खुर्द, तह.जिला बालाघाट म०प्र०	OBC	50
8	23568744	गोविन्द सिंह सेन पिता श्री नारायण सिंह सेन, निवासी-म.नं. -121/122 वार्ड नं.-73 शिवनगर कॉलोनी पेस-3 विदिशा रोड भोपाल म०प्र०	OBC	50
9	23548272	चन्द्रभान अहिरवार पिता हरगोविंद अहिरवार निवासी-म.नं. -427, वार्ड नं.-10 अंबेडकर वार्ड मंडीदीप जिला रायसेन म०प्र०	SC	49
10	23568582	सपना बारमाटे पिता प्रदीप बारमाटे निवासी-वार्ड नं.-17 दिनी बालाघाट म०प्र०-481331	SC	48

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।

04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिचीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिचीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1103-118

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1051-64

दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैब टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23560002	सधिन कुमार ओड पिता श्री राजकुमार ओड, निवासी- म०न. सी-3 कृष्णा कॉम्प्लेक्स बीमाकुज कोलार रोड भोपाल	UR	70.52
2	23560025	सोनिया बाथम पिता श्री मनमोहन बाथम निवासी म०न.-28 गली नं.-2 भोईपूरा बुधवारा भोपाल म०प्र०	UR	69.47
3	23559976	कुलदीप जधेला पिता श्री खेमसिंह जधेला निवासी-म.नं.-55 नंदानगर कैलाश नगर के पास बैरागढ भोपाल म०प्र०	UR	69.47
4	23559850	हेमन्त धाकड़ पिता श्री हरनारायण धाकड़ निवासी ग्राम व पोस्ट जोहरी जिला गुना म०प्र०-473105	UR	69.47
5	23583693	मोनिका कुर्मी पिता श्री नरेन्द्र कुमार कुर्मी निवास-ग्राम मनक्वारा पनागर जबलपुर म०प्र०	UR	68.42
6	23561600	रोशनी राज पिता श्री बालचन्द्र राज, बायपास रोड रूप नगर काले करौद भोपाल	SC	66.31
7	23591253	दीपक वर्मा पिता श्री बिसन लाल वर्मा, निवास-सिरेगांव तह. चौरई जिला छिन्दवाडा म०प्र०	OBC	65.26
8	23583616	मोहम्मद अनस पिता श्री बदरुद्दीन इदरिश निवासी म.नं. -257/1 रददी चौकी इण्डियन पावर हाऊस के पीछे जबलपुर म०प्र०	OBC	65.26

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1051-64

दिनांक: 29/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक/2023/स्थापना/1086-102,

दिनांक:27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में स्टाफ नर्स (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 28700-91300 (एल-7) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23578734	मून सुब्बा पिता श्री श्याम सुब्बा पता- म.न. 287 वार्ड न. 4 पानी की टंकी के पास रिजर्व पुलिस लाइन छिन्दवाड़ा म०प्र०	UR	61.79
2	23590434	मोहन लाल पिता श्री केवल सिंह पता- 183 रामआशारेटा पंचार पंचोर राजगढ़-465697	UR	61.21
3	23590229	आकाशा बनकर पिता स्वश्री चन्द्रकांत बनकर पता- म.न. -324 वार्ड क्र.31 नागपुर रोड शांतिपुरा जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०	UR	60.15
4	23578279	संगीता राय, पिता श्री रंजीत राय, पता- क्वार्टर नं. एम/408 वार्ड नं. 04 माइनस कालोनी बिजुरी थाना बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनुपपुर म०प्र०	UR	60.09
5	23551626	अक्षता सोलंकी पिता श्री दीपक सोलंकी पता- म.न. 30 गली नं. 5 गायत्री नगर करारिया फार्म, भोपाल म०प्र०	UR	59.09
6	23589170	लखन सिंह पिता श्री रुग्नाथ सिंह पता- ग्राम बददुखेड़ी पोस्ट रामोलिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ म०प्र०	OBC	58.72
7	23589658	प्रतिभा भारती पिता श्री शिवकुमार भारती पता म.न.-155 ग्राम चुल्ही पोस्ट बढोरा तह.गोपतबंश जिला सीधी म०प्र०	OBC	58.03
8	23590391	विनिता साहू पिता श्री कांता प्रसाद साहू पता-म.न.340 प्रेम नगर कौलोनी छोलारोड दशहरा मैदान भोपाल म०प्र०	OBC	58.03
9	23587643	प्रिया गौर पिता श्री तुलाराम गौर पता- परवलिया सानी बैरसिया रोड पोस्ट अरवलिया तहसील हुजुर जिला भोपाल	OBC	58.03
10	23550608	मेकलसुता गौर पिता श्री जवारी गौर पता- ग्राम परवलिया सानी बैरसिया रोड पोस्ट अरवलिया तहसील हुजुर जिला भोपाल म०प्र०	OBC	58.03
11	23581181	अंबिका पिता श्री लक्ष्मीचंद पता- ग्राम मडवा थाना लखनवाड़ा तहसील व जिला सिवनी म०प्र०	OBC	57.35

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत सहित स्टाफपेड के रूप में देय होगी।



03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही दिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो

उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1086-102,

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 114 9-155

दिनांक: 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (इ.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय में क्षारसूत्र टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई मत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23566536	मो० तारीख खान पिता श्री सईद खान पता- म.न. 14 बार्ड 19 गली न. 2 पुराना सज्जाद स्कूल के पास बड़ईपुरा इमामीगेट हुजूर भोपाल म.प्र.	UR	64.28

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1149-155

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानव मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री ।
7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल।

क्रमांक/2023/स्थापना/1163-169

दिनांक: 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में भैषज्य कल्पक (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23563597	चेतन शर्मा पिता श्री राकेश शर्मा पता- ग्राम रनवा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र. पिनकोड 465685	UR	53.26

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है। तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1163-169

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबधित श्री / श्रीमती / सुश्री

7- व्यक्तगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी